<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय बिलासपुर (छ.ग.)</u>

दाण्डिक अपील क्रमांक 995/1993

अपीलार्थीगण	1. सोहन राम पिता ठाकुर राम गोड़, उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी राजपुरी केन्द्र अभियुक्तगण (अभिरक्षा में)अभियुक्तगण सीतापुर (सरगुजा)
	2. अलख साथ पिता जुगरूराम कुजूर उम्र 25 वर्ष जाति उरावं निवासी बिसुनपुर आरक्षी केन्द्र सीतापुर (सरगुजा)
	विरूद्ध
प्रत्यर्थी	मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा :- आरक्षी केन्द्र प्रभारी,

आरक्षी केन्द्र कांसाबेल जिला रायगढ़ (छ.ग.)

दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील

उपस्थित

सुश्री शार्मिला सिंघई अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से

श्री सुशील दुबे शासकीय अधिवक्ता राज्य /प्रत्यर्थी की ओर से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकलपीठ-माननीय टी.पी. शर्मा न्यायमूर्ति

मौखिक निर्णय दिनांक

30.07.2010

1. इस अपील में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जशपुर नगर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 65/91 में पारित निर्णय एवं दोषसिद्ध तथा दण्डादेश दिनांक 30.09.1993 को चुनौती दी गई है। जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को धारा 394 सहपठित धारा 397 एवं 307 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी पाकर प्रत्येक को दोनो धाराओं में 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है।

2. दोषसिद्धी को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि डकैती के लिये घातक हथियारों की उपयोग से संबंधित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नही होने और अपीलार्थियों की पहचान के संबंध में है। किसी भी

साक्ष्य के अभाव में, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को दोषी ठहराकर दण्डित किया है, और इस प्रकार अवैधता कारित की है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 23.12.1990 को लगभग शाम 4:00 बजे फुलकुंवर अ.सा 01 अपने घर जो ग्राम घोघर थाना कांसाबेल में स्थित है में उपस्थित थी, तब अपीलार्थीगण वहां आये और स्वयं को राजपुरी और बिसुनपुर ग्राम के निवासी होने का परिचय दिया और पानी मांगने लगे और पूछा की क्या वह अकेली रहती है। उसने बताया की उसका पुत्र अंबिकापुर में रहता है जिसके बाद वे लोग चले गये। उसी दिन रात कि लगभग 11 से 12 बजे के बीच वे लोग फुलकुंवर अ.सा. 01 के घर की दीवार को फांदकर अंदर आये और उसका गला दबाने लगे। उसने उन्हे दीपक (डिबरी) की रोशनी में पहचान लिया। एक व्यक्ति ने उसे डिब्बी (लाठी) जैसी वस्तु से मारा, उसने मदद के लिये शोर मचाया जिस पर उसका रिश्तेदार मनप्रसाद (अ.सा.17) जो पास में रहता था मदद के लिये दौड़ा, उसी समय एक अभियुक्त ने देशी पिस्टल से फायर किया जिससे मनप्रसाद के पैर में चोट आई। अपराधियों ने साड़ी नगद व अन्य घरेलु सामान से भरा पेटी लुट लिया। वे एक काला बेग एक जोड़ी चप्पल, एक देशी पिस्टल वही छोड गये I पडोसियों ने भी अपराधियों को देखा था। फुलकुंवर (अ.सा. 01) ने आरक्षी केन्द्र कांसाबेल में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जो प्रदर्श पी-01 है, घटना स्थल से देशी पिस्टल, काला बैग, एक चप्पल, एक लकड़ी का भारी पटिया को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02, के माध्यम से जप्त की गई । अपराधियों द्वारा सादी मिट्टी एवं खून आलूदा मिट्टी जो पी.3 एवं पी. 4 के माध्यम से जप्त की गई पिस्तौल से उपयोग की गई छर्रा के 47 टुकड़े तथा खाली कारतुसों को घटना स्थल से प्रदर्श पी-05 के अनुसार जप्त की गई । फुलकुंवर के खून लगी ब्लाउज को प्रदर्श पी-06 के अनुसार जप्त किया गया, जांच के दौरान अपीलार्थी सोहन को हिरासत में लिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया, उससे प्र.पी. 7 के अनुसार पेटी व अन्य सामान अन्य सामान भी जप्त किये गये । फुलकुंवर (अ.सा. 1) का चिकित्सकीय परीक्षण प्रदर्श पी-10 के अनुसार किया गया जिसने उसके शरीर से 10 चोटे पाई गई थी। मनप्रसाद (अ.सा. 17) का भी चिकित्सकीय परीक्षण प्रदर्श पी-11 एवं 12 के अनुसार किया गया था। जिसमें उसके शरीर में गोली लगने की चोटे पायी थी । पहचान कार्यवाही कराई गई जिसमें अन्य अभियुक्तों के साथ में दोनों अभियुक्तो को फुलकुंवर, कुंवरराम, श्याम बिहारी, लच्छन एवं धनसिंह ने पहचान पत्र प्रदर्श पी-15 के माध्यम से पहचाना था। वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत साक्षियों का कथन अंकित किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत न्यायिक दण्डाधिकारी जशपुर के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जिन्होने प्रकरण को सत्र न्यायालय रायगढ़ को उर्पापित किया जहां से यह प्रकरण अंतरित होकर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

5. अपीलार्थीगण के अपराध को सिद्ध करने के लिये अभियोजन पक्ष ने कुल 17 साक्षियों का परीक्षण कराया है, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपीलार्थीगण का परीक्षण कर कथन अंकित किया जिसमें उन्होनें आरोप का खण्डन किया उनके विरूद्ध आई परिस्थितियों, झूठे आरोप लगाने का तथा निर्दोष होने का कथन किया है।

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किया है।

7. मैनें पक्षकारो को विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये तथा विचारण के निर्णय और अभिलेख का अवलोकन किया।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता सुश्री शार्मिला सिंघई ने दृढ़ता पूर्वक तर्क किया की अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य परस्पर विरोधाभाषी है. एक ओर साक्षियों ने यह कथन किया है कि अपीलार्थीगण सोहन, फुलकुंवर (अ.सा.01) का परिचित था, किन्तु उसने प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराते समय सोहन का नाम नही बताया था, इसके विपरित साक्षियों ने अभिकथन किया है कि अपीलार्थीगण, शिकायतकर्ता एंव अन्य साक्षियों के लिये अपरिचित थे। पहचान कार्यवाही के समय पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिससे पहचान कार्यवाही दूषित है अन्य साक्षियों के साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के पहचान से संबंधित साक्ष्य अपीलार्थीगण की दोषसिद्ध और दण्ड विधि के अंतर्गत स्थिर नही है। सुश्री शार्मिला सिंघई ने पशोरा सिंह एवं अन्य विरूद्ध पंजाब राज्य (ए.आई.आर.1993 एससी 1259) के प्रकरण का हवाला दिया है जिसमें सर्वोच्य न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु के लिये पर्याप्त चोट न होने की स्थिति में धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपीलार्थीगण की दोषसिद्ध स्थिर नही है, और धारा 326 भारतीय दण्ड सहिंता के अंतर्गत परिवर्तित किया जाना चाहिये। सुश्री शार्मिला सिंघई ने आगे लतेल बनाम मध्यप्रदेश राज्य (ए.आई.आर. एससी 763) के प्रकरण का हवाला दिया है जिसमें सर्वोच्य न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि डकैती में भागीदारी के किसी भी प्रमाण के अभाव में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिये सुश्री शार्मिला सिंघई ने दिलावर सिंह विरूद्ध दिल्ली राज्य ((2007) 12 एससीसी 641) के प्रकरण पर भरोसा किया जिसमें सर्वोच्य न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराने के लिये केवल घातक हथियारों का उपयोग करने या रखने वाले व्यक्ति को ही धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध के लिये उत्तरदायी होता है।

9. इसके विपरित राज्य/ प्रत्यार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील दुबे ने अपील का दृढ़ता से विरोध करते हुये यह तर्क किया है कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने कटघरे में अपीलार्थीगण की पहचान की है, जो एक प्रमाणित साक्ष्य है। और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य निष्कर्ष निकालने के लिये पर्याप्त है। कि अपीलार्थीगण ही वही व्यक्ति थे जिन्होनें घातक हथियारो का प्रयोग कर डकैती की थी। एक अपीलार्थी के पास भारी लकड़ी का डंडा था और दूसरे के पास देशी पिस्तौल थी जिसने मनप्रसाद पर पिस्तौल से गोली चलाई और उसे गंभीर चोट पहुंचाई विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को दोषी ठहराना एवं दण्डित उचित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्को पर विचार करने के लिये मैनें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य का विशलेषण किया।

11. मनप्रसाद (अ.सा.17) को आई हुई चोट और उसकी प्रकृति के संबंध में फुलकुंवर (अ.सा.01) और मनप्रसाद (अ.सा.17) की साक्ष्य के अनुसार फुलकुंवर (अ. सा.01) की सहायता के लिये चीख पुकार सुनकर मनप्रसाद (अ.सा.17) जो फुलकुंवर का रिश्तेदार है और उसके घर के पास रहता है

मदद के लिये उसके घर आया और जब फुलकुंवर के पास पहुंच रहा था तो उसके दोनों पैरो पर आग्नेय शास्त्रों से चोट लग गई और वह बेहोश हो गया। वाई. के. टोप्पो (अ.सा.07) के अनुसार उन्होनें दिनांक 24.12.1990 को मनप्रसाद (अ.सा.17) प्रदर्श पी-11 के अनुसार जांच की और पाया कि उसके दाहिने पैर में 4 इंच गोलाकार क्षेत्र में कार्बन के जले हुये टुकडे के साथ घाव है और बायें पैर में 3 सेटीमीटर गोलाकार क्षेत्र में कार्बन कर्ण के साथ धाव है जिससे यह स्पष्ट है कि चोटे आग्नेयास्त्र से आई थी। जब वह फुलकुंवर को बचाने के लिये उसके घर की ओर जा रहा था। घातक हथियार अर्थात आग्नेयास्त्र से ऐसी चोटे तुंरत पहुंचाना चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति के आशय को दर्शाता है। हालांकि चोटे पैर पर थी और घातक नही थी, लेकिन आस पास की परिस्थितियां और आग्नेयास्त्र से तत्काल लगी चोट यह निष्कर्ष निकालने के लिये पर्याप्त है कि घटना के समय मनप्रसाद की हत्या का प्रयास किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12 जहां तक संबधित अपराध में अपीलार्थीगण की संल्पितता का प्रश्न है फुलकुंवर (अ.सा.01) और मनप्रसाद (अ.सा.17) के साक्ष्य के अनुसार दो व्यक्ति फुलकुंवर के घर के अंदर थे दोनों ने फुलकुंवर को पकड लिया था एक उसकी गर्दन दबा रहा था और दूसरा उसकी गर्दन को भारी लकड़ी के तख्ते (गेड़ा) से दबा रहा था उन्होनें फुलकुंवर के कपडे, नोट एवं खाने पीने की वस्तुएँ और बक्सा लूट लिया,

बचाव पक्ष ने डकैती के समय एक व्यक्ति द्वारा गेड़ा और दूसरे व्यक्ति द्वारा पिस्तौल के उपयोग के प्रश्न पर इन साक्षियों से प्रतिपरीक्षण नहीं किया है। फुलकुंवर (अ.सा.01) के घर डकैती की उपरोक्त साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिये पर्याप्त है कि दो व्यक्तियों ने घातक हथियार गेडा और देशी पिस्तौल का उपयोग करके डकैती की थी।

13. अपीलार्थीगण के बचाव के अनुसार उन्होनें कोई डकैती नहीं की है और न ही मनप्रसाद को चोटे पहुंचाई है, और उनकी पहचान कार्यवाही की गई है लेकिन पहचान कार्यवाही के पूर्व साक्षियों ने उन्हें पुलिस अभिरक्षा में पुलिस की उपस्थिति में देखा था इसलिये ऐसी पहचान कार्यवाही का कोई महत्व नही है, अपीलार्थीगण की पहचान न होने के कारण उपरोक्त अपराध के लिये अपीलार्थीगण की दोषसिद्ध विधि के अंतर्गत सही नहीं है।

14. कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा तहसील परिसर बगीचा में प्रदर्श पी-15 के अनुसार पहचान कार्यवाही किया गया तथा पहचान कार्यवाही प्रदर्श पी-15 में साक्षी फुलकुंवर (अ.सा.01), कुंवर राम (अ. सा.14) श्याम बिहारी (अ.सा.13) लच्छन (अ.सा. 12) धनसिंह (अ.सा.09) ने इन व्यक्तियों की पहचान की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. फुलकुंवर (अ. सा.01) ने अपने साक्ष्य की कंडिका 03 में यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थीगण की पहचान इस आधार पर की थी कि उसने अपराध के समय दोनों अभियुक्तों का देखा था। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 06 में उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि पुलिस ने उसे थाने में बुलाया और अभिरक्षा में लिये गये अभियुक्तों को दिखाया उसके बाद उसने थाने में दोनो अभियुक्तों की पहचान की, कंडिका 07 में उसने यह भी कथन किया है कि पहचान के समय पुलिसकर्मी उपस्थित थे, इन परिस्थितियों में फुलकुंवर (अ. सा.01) के संबंध मे पहचान की कार्यवाही अपने आप में महत्वहीन हो जाती है।

16. लच्छन (अ. सा.12) ने भी अभियुक्तों की पहचान की है उसके साक्ष्य के अनुसार घटना के दिन, दिन के समय वह कुंवर और रामबिहारी के साथ अनिल शर्मा के साथ दुकान में बैठा था उसी समय

उसने देखा की दोनों अपीलार्थी घोघर गांव में उपस्थित है, अपीलार्थी सोहन, फुलकुंवर के घर आता जाता था, दूसरे दिन उसे जानकारी हुई की फुलकुंवर के घर में डकैती हुई है उसने दोनों अभियुक्तो की पहचान की है, परन्तु उसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पहचान के पहले पुलिस ने अभियुक्तों को दिखाया था।

17. कुंवर राम (अ.सा.14) जिसने अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की है ने भी साक्ष्य में घटना से एक दिन पहले लगभग 4:00 उसने दोनों अपीलार्थीगण को देखा था जब वे सामने से गुजर रहे थे, अनिल शर्मा के घर उस समय लच्छन और श्याम के साथ बैठा था। उसने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि पहचान के समय पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18 इन साक्षियों की पहचान संबंधी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पुलिस ने अभियुक्तों को उन्हें पहले ही दिखा दिया था या पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में पहचान की कार्यवाही हुई थी इसलिये पहचान कार्यवाही की साक्ष्य क्षीण हो जाती है। न्यायालय में की गई पहचान एक ठोस एवं वास्तविक साक्ष्य मानी जाती है, यदि अभियोजन पक्ष न्यायालय में की गई पहचान को सिद्ध कर देता है तब पहचान कार्यवाही में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता का कोई प्रभाव न्यायालय में कि गई पहचान की वैधता को प्रभावित नही करता।

19 वर्तमान प्रकरण में फुलकुंवर (अ. सा.01) ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने अभियुक्तों की पहचान इस आधार पर की है कि उसने घटना के समय दोनों अभियुक्तो को देखा था उसने अपने साक्ष्य की कंडिका 01 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, दिन के

समय 04 व्यक्ति उसके घर पर आये उन्होंने ने पानी मांगा और उसके पुत्र के संबंध में पूछा जिस पर उसने बताया की उसका पुत्र पूर्णिमा के दिन आयेगा। इसके पश्चात दो व्यक्तियों उसके घर के अंदर पाये गये उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दोनों अपीलार्थी उसके घर में उपस्थित थे और उन्होंनें घातक हथियारो का प्रयोग करके डकैती की।

20 धनसिंह (अ. सा.09) ने कथन किया है कि घटना के कुछ घंटा पहले ही उसने दोनों अभियुक्तों को घोघर गावं की ओर जाते हुये देखा था। शंकर राम (अ. सा.11) फुलकुंवर के पुत्र ने कथन किया है कि वह अभियुक्त सोहन को जानता था जो राजपुरी का निवासी है जहां उसकी बहन की शादी हुई है। लच्छन (अ. सा.12) ने भी कथन किया है कि घटना के पूर्व शाम लगभग 04:00 दोनो अभियुक्तों को घोघर गांव में देखा था। श्याम बिहारी चौहान (अ. सा.13) ने विशेष रूप से कथन किया है कि घटना के दिन लगभग शाम 4:00 बजे उसने अन्य व्यक्तियों के साथ दोनो अपीलार्थीगण को घोघर गांव में देखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. फुलकुंवर (अ.सा.01) लच्छन (अ.सा.12) और कुंवर राम (अ.सा.14) तीनों साक्षियों ने निश्चित रूप से पहचान कार्यवाही के पूर्व अपीलार्थीगण को पुलिस अभिरक्षा में देखा था किन्तु यह उपरोक्त तथ्य साक्षियों ने घटना के दिन घटना घटित होने पूर्व दोनों अपीलार्थीगण को देखा था। मनप्रसाद (अ.सा.17) ने विशेष रूप से अपने साक्ष्य में कथन किया है कि दोनों अपीलार्थीगण घटना के समय फुलकुंवर के घर में मौजूद थे और उनमें से एक ने उस पर गोली चलाई थी। लच्छन (अ.सा.12) की साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त सोहन फुलकुंवर के घर आता जाता था। शंकर राम (अ.सा.11) फुलकुंवर के पुत्र नें अपने साक्ष्य की कंडिका 01 में यह स्पष्ट रूप कथन किया है कि अभियुक्त सोहन

पहले एक बार उसके घर आया था। इससे यह ज्ञात होता है कि सोहन राजपुरी का निवासी है जहां शंकर राम की बहन का विवाह हुआ था वह फुलकुंवर के घर गया था किन्तु वह शंकर/फुलकुंवर के घर अक्सर नही जाता है। इन परिस्थितियों में फुलकुंवर के द्वारा सोहन का नाम प्रथम सूचना पत्र में दर्ज कराना संभव नही था। फुलकुंवर (अ. सा.01) के साक्ष्य से स्पष्ट है कि अपराध कारित करने के पूर्व अभियुक्त उसके घर किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थित सुनिश्चित करने आया था।

22 उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकालने के लिये पर्याप्त है कि घटना तिथि के पूर्व दोनों अभियुक्त व्यक्ति जो घोघर के निवासी नही थे। और राजपूरी और बिशनपुर के निवासी थे तथा घोघर ग्रांम में उपस्थित थे। मनप्रसाद (अ.सा.17) श्याम बिहारी (अ.सा.13) जिन्होंनें अपीलार्थीगण को पुलिस अभिरक्षा में नही देखा था ने स्पष्ट रूप से घटना की तिथि और घटना के समय अपीलार्थीगण की उपस्थिति का उल्लेख किया है जिसकी पुष्टि अन्य साक्षियों के साक्ष्य से भी होती है। यह निष्कर्ष निकालने के लिये पर्याप्त है कि दोनों अपीलार्थीगण वही व्यक्ति थे जिन्होनें घातक हथियारों का उपयोग करते हुये डकैती का अपराध कारित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. पसौरा सिंह (उपरोक्त) प्रकरण में सर्वोच्य न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपराध की गंभीरता का निष्कर्ष चोट के आधार पर लगाया जा सकता है और जीवन के लिये चोट के अभाव में धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्धी को बदला जा सकता है परन्तु वर्तमान प्रकरण में जिन परिस्थितियों में अपीलार्थीगण ने मनप्रसाद पर गोली चलाई थी ये हत्या करने के गंभीर आशय को दर्शाती है। पसौरा सिंह (उपरोक्त) का प्रकरण तथ्यों के आधार पर वर्तमान प्रकरण से भिन्न है।

24. जैसा कि लतेल और दिलावर सिंह (उपरोक्त) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि अभियुक्तों के पास न केवल घातक हथियार थे बल्कि उन्होंने डकैती करने के लिये कुछ और भी किया था। वर्तमान प्रकरण में एक अपीलार्थी के पास भारी लकड़ी का तख्ता था तथा दूसरे के पास पिस्तौल थी उनके पास न केवल घातक हथियार थे बल्कि उन्होंनें उसका उपयोग फुलकुंवर एवं मनप्रसाद को चोट पहुंचाने के लिये भी किया था। लतेल और दिलावर सिंह (उपरोक्त) के प्रकरण तथ्यों के आधार पर वर्तमान प्रकरण से भिन्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. अभिलेख पर उपलब्ध साक्षियों के साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध कर दण्डित किया है। अपीलार्थीगण की दोषसिद्धी विधि के अंतर्गत वैध, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित है।

26. वर्तमान प्रकरण में यह निश्चित करने के पश्चात अपराध के समय कोई पुरूष सदस्य उपस्थित नही था. अपीलकर्तागण ने घातक हथियारों का उपयोग कर डकैती की है जिससे मनप्रसाद को गंभीर चोटे आई जिसमे हत्या का प्रयास भी शामिल है, विचारण न्यायालय ने विधि के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम दण्ड दिया है। साक्षियों के साक्ष्य की गहन परिशीलन करने पर मुझे अपीलार्थीगण की दोषसिद्धी और दण्ड में कोई अवैधता नही दिखती।

27. परिणाम स्वरूप अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है । अपीलार्थीगण जमानत पर है अत: वे सत्र प्रकरण क्रमांक 65/91 में अधिरोपित शेष

दण्डादेशों को भुगतने हेतु अपर सत्र न्यायाधीश जशपुर /उनके उत्तराधिकारी के समक्ष तत्काल आत्म समर्पण करे।

हस्ताक्षर

टी.पी. शर्मा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Adv HEMLATA GOSWAMI